न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गडरारोड़, जिला बाड़मेर,
पीठासीन अधिकारी श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 94/2020

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. लाखा खां पुत्र जमाल खां 2. उम्मेदा खां पुत्र जमाल खां जाति–मुसलमान, नि0 जीणे की बस्ती तह0 गडरारोड़		1 तहसीलदार गडरारोड़ ,जिला बाडमेर

उपस्थित :– 1. श्री ईश्वरसिंह भाटी वकील वादीगण
2. पैरोकार सरकार

राजस्व वाद 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :– 4.9.2025

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण की पुश्तैनी हक एवं कब्जाकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 700 रकबा 101.11 बीघा ग्राम रतरेडी खुर्द तह0 गडरारोड़ एवं खसरा नम्बर 1329 रकबा 102.13 बीघा ग्राम साधो की बस्ती तह0 गडरारोड़ में आवटित है, जिस पर अपने जीवनकाल में जमाल खां एवं उनके मरणोपांत वादीगण लगातार माफिक हक हिस्सा काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। सम्वत् 2025 के अकाल के कारण जमाल खां मजदुरी करने गुजरात चले गये थे पिछे हल्का पटवारी ने सन् 1971 में वादीगण के पिता जमाल खां के अवैध रूप से पाक जाने की झूठी रिपोर्ट तत्कालीन तहसीलदार शिव को प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 700 की समग्र भूमि खालसा घोषित करवा ली। तहसीलदार शिव ने जरिये आदेश क्रमांक 428 दिनांक 05.06.71 बगैर जमाल को सुनवाई का विधिसम्मत. अवसर दिये और बगैर उसे नोटिस दिये खसरा नम्बर 700 की भूमि खालसा घोषित कर दी। उक्त आदेश की पालना में जरिये नामान्तरकरण संख्या 191 उक्त भूमि राजस्थान सरकार के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि जमाल कभी भी पाकिस्तान नही गया था, जीवन पर्यन्त भारत में ही रहा और उसकी दिनांक 15.10.82 को ग्राम केलनी (रतरेडीकल्ला) में मृत्यु हुई। चूंकि जामल मजदूरी हेतु गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में जाता रहता था, अतः उसे अपने जीवनकाल मे खालसा करने की जानकारी नहीं हुई। वादीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकलों हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर उन्हें भूमि खालसा किये जाने की जानकारी हुई। अतः वादीगण ने खसरा नम्बर 700 की भूमि अपनी खातेदारी में घोषित करवाने तथा प्रतिवादी के विरूद्व उन्हें बेदखल नहीं करने एवं उक्त भूमि अन्यत्र आवंटन/नियमन नहीं करने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन कर जरिये सम्मन प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी तहसीलदार गडरारोड़ ने इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया कि यद्यपि जमाल के सन् 1982 में फौत होने पर मौजा–साधों की बस्ती में आवटिंत उसकी संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1329 जरिये नामान्तरकरण संख्या 171 उसके वारिसान वादीगण के नाम दर्ज हुई थी। जो आज भी वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तथापि बिना वैध प्रक्रिया के पाक पलायन करने के कारण मौजा रतरेडी खुर्द आवस्थित जमाल पुत्र उस्मान की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 700 रकबा 101.11 बीघा भूमि तहसीलदार शिव द्वारा खालसा घोषित की थी, जो आज भी राजस्थान सरकार की खातेदारी में दर्ज है। कानूनन किसी खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी का परित्याग किये बिना विधिक प्रक्रिया के और बिना पासपोर्ट पत्र पाक पलायन करने पर उसके खातेदारी अधिकारों का अवसान हो जाता है। उक्त भूमि आज भी सरकारी खाते में दर्ज होने से वादीगण उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का घोषणात्मक या निषेधात्मक अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः वादीगण का वाद मय खर्चा खारिज किया जावें।

सहायक कलक्टर
गडरारोड

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 11:54:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण के वाद एवं प्रतिवादी के जवाब के आधार पर नियमानुसार तनकियात कायम की गई :–

1. आया वादग्रस्त आराजी तहसील– गडरारोड़, पटवार मण्डल– गिराब क मौजा– रतरेडी खुर्द के खसरा नम्बर 700 रकबा 101.11 बीघा पर वादीगण का लगातार कब्जा काश्त होने व पैतृक खातेदारी होने से वादीगण अपनी संयुक्त खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी है।

(जिम्मे वादीगण)

2. कि आया वादीगण के पिता जमाल खां की मृत्यु भारत में ग्राम केलनली तहसील गडरारोड़ में होने से नामान्तकरण संख्या 191 को निरस्त करवाने के अधिकारी है।

(जिम्मे वादीगण)

3. कि प्रतिवादी के विरूद्व इस आशय कि स्थायी निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि वह वादीगण के कब्जाकाश्त व हक हकूक वाली भूमि से वादीगण को बेदखल नहीं करने और न ही कब्जाकाश्त में दखलांदाजी पैदा करें।

(जिम्मे वादीगण)

4. कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में पारित नामान्तकरण संख्या 191 तत्कालीन तहसीलदार शिव के आदेश कमांक 428 दिनांक 05.06.1971 के द्वारा खातेदारी अधिकार का अवसान की पालना में पारित किया गया है जो विधि सम्मत होने से वादीगण का वाद खारिज योग्य है।

(जिम्मे प्रतिवादी)

5. कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में सरकारी खाते में दर्ज होने से वादीगण किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी के विरूद्व पाने का अधिकारी नही है।

(जिम्मे प्रतिवादी)

अपने वाद के समर्थन में वादीगण की ओर से स्वयं वादी लाखा पी.डब्लू–1, माखन पी. डब्लू–2 एवं रतनसिंह पी.डब्लू–3 को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में खसरा नम्बर 700 मौजा– रतरेडी खुर्द की जमाबंदी संवत् 2072 से 75 ई.एक्स.पी.–1, नक्शा ट्रेस ई.एक्स.पी.–2, ग्राम साधों की बस्ती की खसरा नम्बर 1329 सवत् 2076 ई. एक्स.पी.–3, खसरा नम्बर 700 मौजा–डाबड की खतौनी बन्दोबस्त ई.एक्स.पी.–4, ग्राम डाबड के नामान्तकरण संख्या 191, जो वादग्रस्त भूमि को खालसा दर्ज कराने हेतु पारित हुआ ई.एक्स.पी.–5, निर्वाचन पत्रावली प्रपत्र –बी ई.एक्स.पी.–6, से ई.एक्स.पी. –8, राजस्थान सरकार के आर्थिक एवं सांखियकी निदेशालय की ओर जमाल खां का मृत्यु प्रमाण पत्र ई.एक्स.पी.–9, ग्राम गिराब के खसरा नम्बर 1329 की खंतौनी बन्दोबस्त ई.एक्स.पी.–10, ग्राम डाभड के खसरा नम्बर 295 व 669 की खंतोनीबन्दोबस्त ई.एक्स. पी.–11, ग्राम डावभ का नामान्तकरण संख्या 191 जो सईदाद की खातेदारी खालसा करने हेतु पारित हुआ ई.एक्स.पी.–12, व नामान्तकरण संख्या 286 जो उक्त भूमि पुनः सईदाद के नाम दर्ज करने हेतु पारित हुआ ई.एक्स.पी.–13, ग्राम चेतरोडी का नामान्तकरण संख्या 171, जो जमाल के फौत होने पर खसरा नम्बर 1329 में वादीगण के नाम अमलदरामद हेतु पारित हुआ ई.एक्स.पी.–14, ग्राम जीणे की बस्ती का नामान्तकरण संख्या 43 जो साईदाद के फौत होने पर उसके पुत्र रहीम के नाम खसरा नम्बर 295 व 669 मौजा–डाबड साईदाद की खातेदारी में घोषित करने बाबत राजस्व वाद संख्या 217/76 में पारित निर्णय दिनांक 01.09.77 ई.एक्स.पी.–16 व डिकी पर्चा ई.एक्स.पी.–17, प्रस्तुत किये।

सहायक कलक्टर
गडरारोड

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 11:54:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दोनो पक्षों की बहस सुनी।

वकील वादीगण की बहस है कि वादीगण की पुश्तैनी हक एवं कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 700 रकबा 101.11 बीघा ग्राम रतरेडी खुर्द में एवं वादीगण की अन्य सहखातेदारी के साथ संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1329 रकबा 102.13 बीघा ग्राम साधों की बस्ती तहसील गडरारोड़ में अवस्थित है। जमाल के अकाल स्थिति में मजदूरी हेतु गुजरात जाने पर हल्का पटवारी ने उसे वादग्रस्त भूमि सदैव के लिए परित्याग कर अवैध रूप से पाक जाना बताकर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी तहसीलदार शिव से खलसा घोषित करवा दी, जबकि खसरा नम्बर 1329 की भूमि जीवन पर्यत जमाल की खातेदारी मे रही और उसकी मृत्यु के बाद वादीगण की खातेदारी मे दर्ज हुई, जो आज दिन तक वादीगण की खातेदारी में दर्ज है और वादी ही उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 700 पर वादीगण की ढाणियां, टांके निर्मित है और वे सपरिवार उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज है। मृत्यु प्रमाण पत्र, मतदाता सूची एवं खसरा नम्बर 1329 के राजस्व रिकॉर्ड से जमाल के नागरिक की हैसियत के भारत में ही आजीवन निवास करना और यहीं उसकी मृत्यु होना साबित है। अतः वादी खसरा नम्बर 700 की समग्र भूमि अपनी खातेदारी में घोषित करवाने तथा प्रतिवादी के विरूद अपने कब्जा काश्त में दखलंदाजी नहीं देने और उन्हें वादग्रस्त भूमि से बेदखल नहीं करने के आश्य की स्थायी निषेघाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है।

हसके विपरीत प्रतिवादी की बहस है कि जमाल के अवैध रूप से वादग्रस्त भूमि का सदैव के लिए परित्याग कर पाक पलायन करने पर तहसीलदार शिव द्वारा पूर्ण विधिक प्रकिया के कार्यवाही की जाकर उक्त भूमि खालसा करवाकर घोषित की गई और उक्त आदेश की पालना में नामान्तकरण प्रक्रिया के जरिये उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में राज्य सरकार के खाते में दर्ज हुई, जो आज दिन तक यथावत सरकार के खाते में दर्ज होती जा रही है। अतः वादी उक्त भूमि के संबंध में कोई हक नहीं होने से वे किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण का वाद गलत तथ्यों पर आधारित होने से मय खर्चा खारिज किया जावें।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध गवाहान के शपथपत्रों व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेश्य में तनकीवार विवेचन किया गया।

तनकी संख्या 1 — वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी में घोषित किये जाने की वादीगण की इस्तदुआ के सम्बद्व है, जिसे सिद्व करने का किया वादीगण पर है। वादीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि वक्त बन्दोबस्त से वादीगणके पिता जमाल की खातेदारी में दर्ज थी और वे अपने जीवन काल में उक्त भूमि पर काश्त करते थे और सरकारी लगान अदा करते थे उनकी मृत्युपरांत वादीगण बहैसियत वारिस वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। पटवारी हल्का की इस रिपोर्ट कि जमाल अपनी वादग्रस्त भूमि का सदैव के लिए परित्याग कर पाक चला गया है कि आधार तत्कालीन तहसीलदार शिव ने उक्त भूमि को खालसा घोषित कर राजस्व रेकर्ड में राज्य सरकार के नाम अमलदरामद करवा दिया जबकि जमाल लगातार अकाल के कारण अपने व अपने परिवार के जीवनयापन हेतु मजदूरी करने के लिए गुजरात चला गया था और कभी–कभी घर आता था, अपने कब्जा काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आने से जामाल व उसके पुत्रों वादीगण को खालसा कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं हुई, किन्तु प्रतिवादी एवं उनके प्रतिनिधि हल्का पटवारी द्वारा जब उक्त भूमि से उन्हे बेदखल करने एवं भूमि का अन्य व्यक्तियों को आवंटित करने की धमकिया दिये जाने पर उन्हे इस तथ्य की जानकारी हुई। तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 11:54:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर,
गडरारोड

Scanned with OKEN Scanner

के अनुसार जमाल कभी पाकिस्तान नही गया उकसा स्थाई सहपरिवार निवास मौजा–रतरेडी खुर्द में अवस्थित वादग्रस्त भूमि पर रहा और वही वह दिनांक 15.10.82 को फौत हुआ। उक्त भूमि पर जमाल की ढाणियां, टांके निर्मित है, जिस पर उसका परिवार वादीगण एवं उनके परिजन काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। गवाहन के शपथ पत्रों से वादग्रस्त भूमि पर अपने जीवनकाल में जमाल का तथा उसकी मृत्यु के बाद वादीगण का ही लगातार कब्जा काश्त होने की पुष्ठी होती है। मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अनुसार खालसा कार्यवाई के बाद भी जमाल एवं उसके परिवार का भारत में बहैसियत नागरिक निवास रहा है। राजस्थान सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र से भी जमाल की दिनांक 15.10.82 को भारत मे ही मृत्यू होना प्रमाणित है। यदि जमाल अपनी खातेदारी भूमि का सदैव के लिए परित्याग कर एवं भारत को छोडकर अवैध रूप से पाक पालायन कर गया होता तो मौजा साधो की बस्ती अवस्थित संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1329 रकबा 102.13 बीघा के राजस्व रेकार्ड में बहैसियत खातेदारी उसका नाम दर्ज नहीं होता और उसकी मृत्यु पर जरिये नामान्तकरण संख्या 170 उसके वारिसान का नाम दर्ज नहीं होता। उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि जमाल अपनी खातेदारी भूमि का सदैव के लिए परित्याग कर कभी पाक नही गया और वह मृत्यु पर्यन्त भारत के नागरिक की हैसियत से अपनी समग्र खातेदारी भूमि पर काबिज रहा तथा उसकी मृत्यु के बाद बहैसियत वारिस उक्त भूमि पर काबिज है। इससे यह भी स्पष्ट है कि जमाल के विरूद्व की गई खालसा कार्यवाही बिना विधिसमत जांच किये और बिना उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिये सम्पादित हुई है। अतः वादीगण वादग्रस्त भूमि अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी है। इस प्रकार तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 – वादीगण के पिता जमाल की मृत्यु भारत में होने से नामान्तकरण संख्या 191 निरस्त करवाने की वादीगण की इस्तदुआ से संबंध है। चूंकि तनकी संख्या 1 के विवेचन में जमाल की मृत्यु भारत में ही होना साक्ष्य पृष्ट रूप से साबित हो चुका है। अतः तनकी संख्या 2 भी वादीगण के हक में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 –वादीगण की वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादी के विरूद्व स्थयी निषेधाज्ञा के अनुतोष से सम्बद्व है। चूंकि वादीगण तनकी संख्या 1 में स्वयं को वादग्रस्त भूमि के खातेदारी घोषित करवाने में सफल हो चुके है। अतः उक्त भूमि के सम्बन्ध में उनके कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा तनकी संख्या 3 भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4– तहसीलदार शिव द्वारा विधिवत निर्णिय के जरिये वादग्रस्त भूमि पर से जमाल के खातेदारी अधिकारों का अवसान होने से वाद काबिल खारिज होने से प्रतिवादी के प्रतिकथन से सबद्व है। प्रतिवादी का यह कथन सही है कि वादग्रस्त भूमि तहसीलदार शिव द्वारा पारित [illegible] के आधार पर राजस्व रिकार्ड में खालसा सरकार दर्ज हुई थी, किन्तु [illegible] के आधार बिना पारपत्र के जमाल द्वारा भूमि का सदैव के [illegible] किया गया था, किन्तु वाद के विवेचन के [illegible] साबित हो चुका है कि जमाल ताउम्र भारत में रहा तथा उसकी मृत्यु भी दिनांक [illegible]0.82 को यही हुई। उसके बाद वादीगण का ही वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। लिहाजा तनकी संख्या 4 प्रतिवादी के विरूद्व निर्णय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 11:54:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
गडरारोड

Scanned with OKEN Scanner

तनकी संख्या 5— वादग्रस्त भूमि सरकारी खाते मे दर्ज होने से वादीगण की स्थायी निषेधाज्ञा अधिकारिता नहीं होने के प्रतिवादी के प्रति कथन से सबद्व है। चूंकि तनकी संख्या 1 के विवेचन में वादीगण स्वयं को वादग्रस्त भूमि के खातेदार घोषित करवाने में तथा तनकी संख्या 3 में इसी आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने में सफल हो चुके है। अतः तनकी संख्या 5 प्रतिवादी के विरूद्व में निर्णित की जाती हैं।

उपर्युक्त विवेचन से यह भलीभांति स्पष्ट है कि जमाल के मृत्यु प्रमाण पत्र, मतदाता सूची, तथा हल्का पटवारी गिराब की मौका फर्द दिनांक 18.06.2021 में भी जमाल की मृत्यु भारत में हुई थी तथा वादग्रस्त भूमि में जमाल के वारिसानों का कब्जा काश्त चले आने की पुष्टि की गई है एवं मौजा साधों की बस्ती अवस्थित खसरा नम्बर 1329 के राजस्व रिकार्ड के अनुसार जमाल ताजिन्दगी बहैसियत नागरिक भारत मे ही रहा और दिनांक 15.10.82 को उसकी मृत्यु ग्राम केलनी/रतरेडी कला में हुई थी। इस प्रकार खालसा प्रक्रिया के दौरान जांच प्रक्रिया में रही त्रुटि के कारण जमाल के विरूद्व वादग्रस्त भूमि सरकारी तहवील में लेने के आदेश पारित हुए। इस प्रकार वादगीण वादग्रस्त भूमि अपनी खातेदारी मे दर्ज करवाने के अधिकारी स्वयं को साबित करने में सफल रहे हैं।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम —रतरेडी खुर्द तह0 गडरारोड़ की खसरा नम्बर 700 रकबा 101.11 बीघा भूमि पर से प्रतिवादी की खातेदारी निरस्त की जाकर उक्त भूमि वादीगण की बहिस्सा बराबर खातेदारी में घोषित की जाती है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी के विरूद्व वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नही करने और उन्हें मौके से बेदखल नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

4/9/2025
सहायक कलक्टर
गडरारोड़
सहायक कलक्टर
गडरारोड़

निर्णय आज दिनांक 4-9-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

4/9/2025
सहायक कलक्टर
गडरारोड़
सहायक कलक्टर
गडरारोड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 11:54:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner